अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

11.04.23

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 28 आर० 15/2017–18

मेसर्स खालसा ब्रदर्स द्वारा चेयरमैन राजेन्द्र सिंह पिता स्व० संतोक सिंह, निवासी काली बाड़ी रोड, थाना+ जिला– हजारीबाग .... प्रार्थी

बनाम

राज्य

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका डब्लु०पी० (सी०) सं० 3508/2020 मे पारित न्यायादेश दिनांक 30.11.2022 को पारित आदेश में उभय पक्षो को सुनकर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कानुर के अनुसार (Accordance with law) पारित करने हेतु निदेश दिया गया है के आलोक मे पुनः आरम्भ किया गया है।

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई प्रार्थी ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 68 आर० 15/2017–18 मे पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 के खिलाफ दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर, रॉची ने प्रार्थी द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, अनगडा राँची के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 182 आर० 27/15–16 में दिनांक 12.10.2015 को पारित आदेश को बहाल रखा, जिसके द्वारा मौजा–हरातू थाना सं० 2, खाता सं० 02, प्लॉट सं०–56, रकबा 2.20 एकड़ भूमि का नामान्तरण अस्वीकृत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मौजा–हरातु थाना–अनगडा, थाना सं० 02, खाता सं०–02, प्लॉट सं०–56, रकबा–2.20 एकड़ रिविजनल सर्वे खतियान मे सामिलात

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

लगान पाने वाला खेवट सं०–07 के अन्तर्गत बकास्त मालिक दर्ज है। खेवट सं० 7 मे खेवट सं०–05 एवं 06 शामिल है, जो बाबुलाल भगत पिता नारायण भगत, आठ आना एवं जगरनाथ भगत, पिता–गोविन्द भगत, आठ आना दर्ज है। बाबुलाल भगत की मृत्यु नावल्द हुई और जगरनाथ भगत अपने दो पुत्रों, दीनानाथ भगत एवं भुनेश्वर भगत को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। बाबुलाल भगत एवं जगरनाथ भगत की मृत्यु के पश्चात् उनके वैधानिक उत्तराधिकारी दीनानाथ भगत एवं भुनेश्वर भगत उपरोक्त भूमि पर संयुक्त रूप से दखलकार हुए। उपरोक्त दीनानाथ भगत एवं भुनेश्वर भगत ने वर्ष 1970 ई० मे खालसा ब्रदर्स लि० द्वारा भूतपूर्व चेयरमैन, हदीप सिंह, पिता–संत सिंह को विक्रय विलेख सं०–8975, दिनांक– 19.05.1970 द्वारा हस्तांतरित कर दिया एवं उन्हे उक्त भूमि पर दखलकार कर दिया। उपरोक्त खरीदगी के पश्चात् आजतक खालसा ब्रदर्स प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है। अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त भूमि का उपयोग सिकिदिरी हाईड्रो पावर के निर्माण अपने कामगरों के रहने के उपयोग मे लाया जाता था।

इसी भूमि से सटे भूमि को उपरोक्त दीना नाथ भगत एवं भुनेश्वर भगत ने निबंधित पट्टा सं० 8919 दिनांक 17.06.1970 द्वारा भीम पाल सिंह को हस्तांतरित किया था। सिकिदिरी हाईड्रो पावर के निर्माण के उपरान्त प्रार्थी ने उक्त भीम पाल सिंह को प्रश्नगत भूमि का जिम्मा सौप दिया। पूर्व मे भूतपूर्व चेयरमैन, हदीप सिंह द्वारा उपरोक्त भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया था, परन्तु उनके बीमार होने के कारण उक्त नामान्तरण वाद के निष्पादन हेतु प्रर्याप्त ध्यान नही दिया जा सका।

उत्तरवादी द्वारा वर्ष 1970 ई० मे प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित प्रश्नगत भूमि से संबंधित विक्रय विलेख को किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है। उत्तरवादी द्वारा कही यह नही बताया गया है कि उनका खतियानी मालिक दीनानाथ भगत या भुनेश्वर भगत से संबंध स्थापित नही किया है। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उन्होने प्रश्नगत भूमि किससे क्रय किया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जगदेव महतो बनाम कमिशनर, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन मे पारित न्यायादेश के अनुसार लम्बी अवधि से कायम जमाबंदी यदि त्रुटिवश कायम किया गया हो तो उसे रद्द किया जा सकता है।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार–मौजा हरातु के अन्तर्गत खाता सं० 2 की भूमि आर० एस० खतियान मे बाबु लाल भगत पिता नारायण भगत एवं जगरनाथ भगत पिता गोविन्द भगत के नाम से बकास्त मालिक दर्ज है। उपरोक्त खतियानी मालिक बाबु लाल भगत एवं जगरनाथ भगत ने अपने उपरोक्त प्रश्नगत भूमि वर्ष 1952 ई० मे सादा हुकुमनामा द्वारा सुमित्रा देवी पति बाबु लाल भगत एवं सामा भगत पिता सागुन भगत को बंदोबस्त कर दिया एवं उनके द्वारा दाखिल रिर्टन के आधार पर प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी पंजी ।। मे सुमित्रा देवी एवं सामा भगत के नाम से कायम हुआ। उत्तरवादी उपरोक्त सुमित्रा एवं सामा भगत के वंशज है। वर्त्तमान मे प्रश्नगत भूमि से संबधित कई वाद यथा जी० आर० 1085/2015, ओ० एस० वाद सं० 2203/2019, शिकायत वाद सं० 1085/2018 इत्यादि विभिन्न न्यायालय मे लंबित है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस भूमि पर उत्तरवादी दखलकार है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि आर० एस० खतियान मे खेवट सं० 7 के अन्तर्गत बकास्त मालिक दर्ज है। पंजी–।। के अनुसार प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी सामा साव वल्द सगुन साव, सुमित्रा कुंवरी, जौजे बाबुलाल साव (भगत) दर्ज है । प्रार्थी द्वारा कुल 2.20 एकड भूमि के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया है, जबिक उक्त प्लॉट मे कुल रकबा 1.10 मात्र ही भूमि शेष है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि अर्थात 2.20 एकड भूमि का नामान्तरण संभव नही है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अतः यह पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 68 आर० 15/2017–18 मे पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 बहाल रखा जाता है । उभय पक्ष, प्रश्नगत भूमि पर अपना हक, स्वत्वाधिकार इत्यादि की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.05.11 16:19:11 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:188d:1bbc:988a:358d